सं0– 564 / XXVIII–5–2005–21 / 2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून: दिनांक: 06 दिसम्बर, 2005

विषयक: टी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में परिवार कल्याण उपकेन्द्र के भवनों के निर्माण विषयक शासनादेश दिनांक 02.09.205 में संशोधन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्तक विषयक आपके पत्र सं0–सी0 एन0ओ0 / बी0–2 / 2005– 06 / 7096 दिनांक 07.11.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में परिवार कल्याण उपकेन्द्र के भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति विषयक शासनादेश सं0–218 / XXVIII–5–2005––21 / 2005 दिनांक 02.09.2005 के संलग्न पुनर्विनियोजन प्रपत्र बी0एम0–15 में त्रुटिपूर्ण अनुदान सं0–12 अंकित हो गया है । अतः उक्त शासनादेश के संलग्नक बी0एम–15 में अंकित अनुदान सं0–12 के स्थान पर अनुदान सं0–31 पढा जाए ।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 02.09.2005 की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी तथा उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए ।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0–564(1) / XXVIII–5–2005–21 / 2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– जिलाधिकारी, देहरादून ।
5– महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल, देहरादून ।
6– परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम ।
7– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री ।
8– वित्त अनुभाग–2 / नियो0वि0 / एन0आर0सी0 ।
9– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव